क्या है स्वामित्व योजना ?

ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये है सरकार की स्वामित्व योजना।

क्यों आवश्यक है ?

- भारत की 60 प्रतिशत से अधिक की आबादी गॉव में निवास करती है।
- अधिकांश परिवारों के पास आवासीय सम्पत्ति के कागज़ नहीं है।
- अधिकांश राज्यों में गॉव की आबादी क्षेत्रों का सर्वे मानव सम्पत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है।
- मालिकाना हक की गॉव की इस आवश्यकता को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना।

क्रियान्वयन विभाग: राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उ०प्र०
पंचायती राज विभाग, उ०प्र० द्वारा जनहित में जारी।

कैसे करेंगें ?

- योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवसीय भूमी की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जायेगी जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन से ग्राम की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक सम्पत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जायेगा तथा प्रत्येक राजस्व खण्ड की सीमाओं का निर्धारण किया जायेगा।
- राजस्व विभाग द्वारा सटीक मापन के आधार पर गॉव के प्रत्येक घर का सम्पत्ति कार्ड बनाया जायेगा।
- योजना के प्रचार–प्रसार का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

स्वामित्व योजना के लाभ

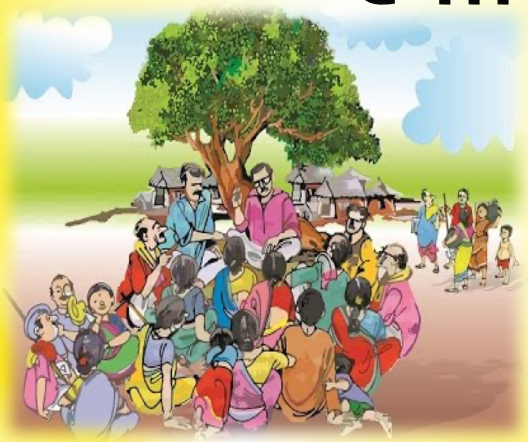

पंचायतों को
इससें सम्पत्ति का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा।
इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पायेंगी।
ड्रोन के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गॉव का सटीक मानचित्र व रिकार्ड उपलब्ध होगा।
उपलब्ध रिकार्ड का उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिये किया जा सकेगा।

ग्रामीण नागरिकों को
सम्पत्ति के मालिक को मालिकाना हक प्राप्त होगा।
मालिकाना हक से ग्रामवासी अपनी सम्पत्ति का वित्तीय उपयोग ऋण लेने में सक्षम होगें।
गॉव के आवसीय क्षेत्र का रिकार्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे।
सम्पत्ति के स्पष्ट आंकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी।

क्रियान्वयन विभाग: राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उ0प्र0
पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जनहित में जारी।